

- 1- श्री शंभूचरणलाल श/० मुरालाल ब्राह्मण नि० भूतेला
 - 2 श्री कन्हैयालाल श/० मुरालाल ब्राह्मण नि० भूतेला
 - 3 श्री शंभूलाल श/० पन्नालाल ब्राह्मण नि० भूतेला
 - 4 श्री गोरधनलाल श/० बड़ीलाल ब्राह्मण नि० भूतेला
- तह सहाड़ा

—प्रार्थीगण

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| बनाम | ब्राह्मण नि० भूतेला तह सहाड़ा |
| 1- श्री प्रहलादराम श/० मुरालाल | — |
| 2. " जाराम श/० हीरा कुजर | — |
| 3 " बालु श/० लालु कुजर | — |
| 4 " बंदा श/० रोडा कुजर | — |
| 5 " बगु श/० दोडा कुजर | — |
| 6 " गोपी श/० हीरा कुजर | — |
| 7 " प्रहोदय श/० मोहन ब्राह्मण | — |
| 8 " मगवान श/० शम्भुः आदेश :: | दिनांक:- 27.5.2016 |
| शान्ति श/० भूतेला | |

—विपक्षीगण

प्रार्थी/प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर ग्राम भूतेला पटवारी हल्का यावकीगा तहसील, सहाड़ा जिला भीलवाड़ा में आराजी नं० 263 305/1545 306 313 320 321
0.05 है. 0.81 है. 0.84 है. 0.60 है. 0.61 है. 0.31 है.
322 323 324 325 326 327
0.72 है. 0.22 है. 0.07 है. 0.07 है. 0.07 है. 0.07 है.
 कुल किता रकबा भूमि

है जिसकी सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी किये जाने की इस्तदुआ की।
 विपक्षी संख्या..... पेरोकार सरकार द्वारा औपचारिक पक्षकारकि
 टिप्पणी अंकित की गई जिससे इनका जवाब बंद किया गया। शेष विपक्षी संख्या 2 व 3 व 8 उपस्थित
1, 4, 5, 6, 7 से चलाया 8 बावजूद सूचना सुनवाई हेतु अनुपस्थित रहे जिससे इनके विरुद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया, तथा उभय पक्षों की बहस पर मनन किया गया। विवादित आराजियात ग्राम भूतेला पटवार हल्का यावकीगा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नं० 263 305 306 313 320 321
0.05 है. 1545 0.84 है. 0.10 है. 0.61 है. 0.31 है.
322 323 324 325 326 327
0.72 है. 0.22 है. 0.07 है. 0.07 है. 0.07 है. 0.07 है.
 कुल किता..... रकबा..... भूमि
 है० भूमि के चारों तरफ की सीमा की पुख्ता जानकारी के लिये कब्जे को यथावत रखते हुए पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रार्थी इस कार्य के लिये तहसील सहाड़ा में 1200/- रुपये बतौर शुल्क जमा करावे एवम प्रार्थी द्वारा पत्थर गढ़ी की कमिश्नर फीस 1200/- रुपये मात्र संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर मुगतान करना होगा। पत्रावली बाद दाखला रजिस्ट्रर के फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

सहायक कलेक्टर